



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

अधीक्षक कार्यालय
गॉंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय
उ०प्र०, लखनऊ - २२६००३

निविदा फार्म

निविदा सूचना संख्या: 15694/एम.एस./2017

दिनांक : 11/08/ 2017

फार्म संख्या

निविदा मूल्य रु. 3000.00 + 18 % जी.एस.टी.वैट (तीन हजार रुपये + 18 % जी.एस.टी.वैट), गैर वापसी।

सेवा में,

मेसर्स
.....
.....

विषय: प्रिंटिंग सामग्रियों की आपूर्ति हेतु 02 वर्षों के दर अनुबन्ध हेतु निविदा।

महोदय,

चिकित्सालय में प्रिंटिंग सामग्रियों की आपूर्ति हेतु 02 वर्षों के दर अनुबन्ध हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कृपया निविदा के मुहरबंद लिफाफों पर निविदा सूचना संख्या, निविदा का विषय, फर्म/निविदादाता का नाम अवश्य लिखें तथा निविदा को अधीक्षक, गॉंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के नाम सम्बोधित करें।

निविदा से संबंधित प्रपत्र दो लिफाफे में जमा करना होगा :-

(अ) तकनीकी लिफाफा

(ब) वित्तीय लिफाफा

निविदा डालने की तिथि दिनांक 11/09/2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक निर्धारित है। निविदा को निर्धारित तिथि एवं समय में चिकित्सालय के सभागार में रखें निविदा पेटिका में ही डालें अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी। डाक द्वारा भेजी गई निविदा केवल “पंजीकृत डाक” अथवा कोरियर से ही मान्य होगी। डाक विभाग द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए चिकित्सालय उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

तकनीकी बिड दिनांक 18/09/2017 को अपराह्न 3:00 बजे चिकित्सालय के सभागार में उपस्थित निविदादाताओं एवं निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी रूप से उपयुक्त/सफल निविदाओं के ही वित्तीय बिडों को खोला जायेगा जिसकी सूचना अलग से सूचना पट पर दी जायेगी।

निविदा प्राप्ति अथवा खुलने की तिथि पर अवकाश आदि किसी कारणवश यदि कार्यालय बंद होता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय एवं स्थान पर प्राप्त एवं खोली जायेंगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।

चिकित्सा अधीक्षक

गॉंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
लखनऊ

नियम एवं शर्तें

चिकित्सालय में प्रिन्टिंग सामग्रियों की 02 वर्षों के आपूर्ति हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित/पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कृपया नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक पढ़ लें, वांछित समस्त प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है अपूर्ण निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

1. निविदा से संबंधित प्रपत्र दो बिड सिस्टम के अनुरूप (अ) तकनीकी लिफाफा एवं (ब) वित्तीय लिफाफा होगी, जिसे एक बड़े लिफाफे में भर कर सील करके निविदा बाक्स में डालना होगा।
2. धरोहर राशि की जमा रसीद मूलरूप में (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी फिक्स डिपोजिट रसीद के रूप में जिसकी अवधि निविदा तिथि से न्यूनतम दो वर्ष हो) ही मान्य होगी।
3. नियम एवं शर्तें मूल रूप में हस्ताक्षर युक्त (जिस पर निविदादाता का स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो, स्पष्ट नाम एवं पता सहित) जमा करना होगा।
4. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र के साथ जी.एस.टी. पहचान संख्या (G.S.T. Certification with G.S.T. Indentification No.) एवं आयकर विभाग पंजीकरण प्रमाण पत्र (PAN) की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
5. विगत तीन वर्षों की व्यापार कर क्लियरेन्स/जमा रसीद एवं आयकर असेसमेन्ट की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
6. फर्म का न्यूनतम टर्नओवर **बीस लाख रुपये** प्रति वर्ष विगत तीन वर्षों तक होना चाहिए। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे।
7. निविदादाता निविदा के साथ **100.00 (एक सौ रुपये मात्र)** के स्टैम्प पेपर पर नोटरी पत्र द्वारा संलग्न प्रारूप **पेज संख्या 7** के अनुरूप शपथ पत्र संलग्न करें।
8. निविदा की जाने वाली प्रिन्टिंग सामग्रियों से सम्बन्धित विवरण/सूची (संलग्नक-1) **Annexure-1** में अंकित है।
9. वित्तीय निविदा फर्म के लेटर हेड पर स्पष्ट अंको एवं अक्षरों में **संलग्नक 2 (As per proforma of Financial Bid Annexure 2)** के अनुरूप कम्प्यूटराइज्ड एवं स्व प्रमाणित होनी चाहिए। हस्तलिखित वित्तीय निविदा मान्य नहीं होगी। हस्तलिखित वित्तीय निविदा होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
10. वित्तीय निविदा में अंकित दर चिकित्सालय स्टोर तक का ढुलाई भाड़ा तथा स्थानीय कर आदि सहित सभी कर सम्मिलित होगा।
11. यदि तकनीकी लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र नहीं उपलब्ध होंगे, तो उक्त निविदादाता के वित्तीय लिफाफे को नहीं खोला जायेगा तथा उसे निरस्त कर दी जायेगी।
12. निविदा के साथ **रु 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र)** मूल्य की धरोहर राशि जो कि अधीक्षक, गौधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ के पक्ष में देय, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी नवीन फिक्स डिपोजिट रसीद के रूप में निविदा तिथि से दो वर्ष से कम न हो, को संलग्न करना अनिवार्य है। जिसे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने/ निविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. निविदा के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत धरोहर राशि फिक्स डिपोजिट रसीद के स्थान पर प्राइवेट बैंक/कोऑपरेटिव बैंक आदि द्वारा निर्गत पे आर्डर/बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. वेबसाइट पर प्रकाशित अंतिम तिथि तक डाउनलोड की हुई निविदा मान्य होगी। वेबसाइट से डाउनलोड की गयी निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयऔत/शिडयूल्ड बैंक द्वारा जारी, निविदा मूल्य **रु 3,000.00+ 18% जी.एस.टी.**

वैट का बैंक ड्राफ्ट जोकि अधीक्षक, गौधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

15. मूल निविदा से भिन्न निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. निविदादाताओं को शासकीय/स्वायत्त शासी संस्था/चिकित्सालयों में आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता इस आशय का अनुभव प्रमाण-पत्र/आपूर्ति आदेश की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
17. तकनीकी बिड खोलने के समय मॉर्गे जाने पर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
18. **इस निविदा के साथ संलग्न प्रारूप मात्र मुद्रण के संज्ञान हेतु है।** दर अनुबन्ध के उपरान्त आपूर्ति आदेशों के सापेक्ष, चिकित्सालय द्वारा निविदा में निर्धारित मानक (GSM) के पेपर पर प्रारूप के अनुरूप मुद्रित सामग्रियों ही स्वीकार की जायेगी।
19. प्रिंटिंग कार्यों हेतु निजी स्वामित्व प्रिंटिंग प्रेस वाले निविदादाता ही अर्ह होंगे।
20. निजी स्वामित्व वाले प्रिंटिंग प्रेस निविदादाताओं के लिए निम्नलिखित अर्हता अनिवार्य होगी-
 - i. निजी मुद्रण/मुद्रणालय हेतु जिला अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण/के समक्ष शपथ पत्र की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
 - ii. प्रिंटिंग प्रेस/फर्म का न्यूनतम टर्नओवर बीस लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए तथा विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र/संतुलन पत्र (बैलेन्स सीट) की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाए।
 - iii. श्रम आयुक्त, संगठन उत्तर प्रदेश में निबद्धता का प्रमाण पत्र में प्रिंटिंग प्रेस के वैध पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
21. प्रिंटिंग के निविदादाता को नोटरी पत्र द्वारा यह घोषणा करनी होगी कि उसके पास उसका निजी प्रेस है, जिसमें कम्पोजिंग, प्रिंटिंग तथा वाइडिंग की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है।
22. निविदा सूची में अंकित सामग्रियों के मानक के अनुरूप नमूनों पर निर्माता कम्पनी का नाम, मानक का स्तर एवं अपने हस्ताक्षर सील सहित, प्रत्येक के 2 नमूने पारदर्शी पॉलीथीन के अन्दर रखकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें। निर्धारित मानक के अनुसार ही अपने दर अंकित करें।
23. प्रिंटिंग पेपर/कार्ड सीट इत्यादि प्रत्येक का दो नमूना चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मानक (GSM) के अनुरूप (संलग्न निविदा सूची में अंकित) निविदा के साथ अलग पारदर्शी पॉलीथीन के अन्दर जिस पर प्रिंटिंग पेपर के निर्माता कम्पनी का नाम, प्रिंटिंग पेपर की गुणवत्ता/मानक का स्तर (GSM), निविदादाता का हस्ताक्षर, नाम एवं सील सहित स्पष्ट अंकित हो, तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। नमूने के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। पारदर्शी पॉलीथीन के अन्दर निविदादाता द्वारा नमूनों की सूची भी रखा जाना अनिवार्य होगा यदि नमूने वाली पॉलीथीन टेन्डर बाक्स में नहीं डाली जा सकी है, तो उसे अलग से जमा करा कर रसीद प्राप्त करना होगा। नमूने की कोई भी वस्तु निविदादाता को किसी भी स्तर पर वापस नहीं की जायेगी।
24. निविदा दर अनुमोदित होने पर निविदादाता को **100.00** मूल्य के जनरल स्टाम्प पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर दर अनुबन्ध करना होगा, जिसके साथ रु 25,000.00 की धनराशि प्रतिभूति/जमानत हेतु जमा करना होगा। धरोहर राशि को आवश्यकता पड़ने पर जमानत राशि के रूप में समायोजित किया जा सकता है।
25. निविदा के दर अनुमोदन के उपरान्त दर अनुबन्ध हेतु निविदादाता पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर चिकित्सालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार यदि अनुबन्ध नहीं करता है, तो निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, तथा टेन्डर निरस्त माना जायेगा एवं द्वितीय प्राथमिकता/वरीयता की अनुमोदित फर्म से अनुबन्ध कर लिया जायेगा।
26. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने, निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति करने में असमर्थ रहने, अधीक्षक के आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन न करने, अधोमानक/घटिया सामग्री की आपूर्ति करने की दशा में अनुबन्धित

- फर्म को ब्लैक लिस्ट/दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, और उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
27. निविदा में अंकित मूल्य अनुबन्ध की पूर्ण अवधि (दो वर्ष) तक मान्य होंगे। निविदादाता को अनुबन्ध की अवधि में अनुमोदित दर पर आपूर्ति करना होगा। निविदा की अवधि को आवश्यकता पड़ने पर आगामी एक वर्ष अथवा नई निविदा के पूर्ण होने तक जो भी बाद में हो, की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि अनुमोदित दर पर ही मान्य होगी।
 28. चिकित्सालय के आपूर्ति आदेशों की सामग्री को एक सप्ताह के अन्तर्गत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। यदि निविदादाता आपूर्ति आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो चिकित्सालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सामग्री को अन्य फर्म अथवा खुले बाजार से क्रय कर लिया जायेगा, और मूल्य के अन्तर को निविदादाता के बकाया बिलों अथवा जमानत राशि से वसूल कर लिया जायेगा।
 29. निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित मानक (GSM) के पेपर पर प्रारूप के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति करें। यदि कोई सामग्री मानक तथा प्रारूप के अनुरूप नहीं होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता को उस आपूर्ति को अपने खर्च पर वापस ले जाना होगा तथा आकस्मिकता की स्थिति में उसे पुनः शीघ्र ही आपूर्ति करनी होगी, आपूर्ति न करने की स्थिति में उक्त सामग्री को अन्य फर्म अथवा खुले बाजार से क्रय कर लिया जायेगा, और मूल्य के अन्तर को निविदादाता के बकाया बिलों अथवा जमानत राशि से वसूल कर लिया जायेगा।
 30. प्रत्येक फार्म/शीट पर क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा तथा प्रेस का नाम, प्रिंटिंग सामग्री की मात्रा, छपाई का वर्ष आदि को सूक्ष्म में नीचे की ओर अंकित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार फर्म के देयक से न्यूनतम 10 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।
 31. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर चिकित्सालय की कमेटी द्वारा अथवा सम्बन्धित प्रयोगशाला में मानक परीक्षण भी कराया जायेगा जिसका भुगतान निविदादाता के देयको से किया जायेगा। कमेटी की रिपोर्ट अथवा परीक्षण रिपोर्ट यदि मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो आपूर्ति की गयी उक्त सामग्री के देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म के विरुद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
 32. निविदादाता को आपूर्ति आदेशों के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आपूर्ति की गई सामग्री का देयक तीन प्रतियों में देना होगा जिसे यथा-शीघ्र 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा, बशर्ते कि बजट उपलब्ध रहें। भुगतान में विलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति को नहीं रोकेंगे। यदि ऐसा करेगा, तो उसे अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा।
 33. वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा फार्म तथा कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म में यदि कोई भिन्नता प्राप्त होती है, तो कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म (नियम एवं शर्तें) विधिक रूप से मान्य होंगी।
 34. निविदादाता, निविदा में अथवा निविदा के साथ अपनी कोई शर्त या विशिष्टता नहीं जोड़ेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता को निविदा के नियमों एवं शर्तों को मान्य करना होगा।
 35. निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप निविदा न होने की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
 36. निविदादाता दर अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानान्तरित/सबलेट नहीं कर सकेगा।
 37. मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/मा0 न्यायालय में विचाराधीन अपराधिक मामले अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
 38. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कॉउन्सिल में पंजीकृत हो उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

39. ऐसी फर्में जो किसी शासकीय/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दंडित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
40. ऐसी फर्में जो मा0 न्यायालय द्वारा दंडित हो एवं मा0 न्यायालय में फर्म के विरुद्ध मामले लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
41. अधीक्षक को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा के आंशिक या पूर्ण अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
42. अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर मा0 कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी न्यायिक विवाद केवल लखनऊ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
गोंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के.जी.एम.यू., लखनऊ

अधीक्षक
गोंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के.जी.एम.यू., लखनऊ

घोषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा की उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़कर समझ लिया है, जो कि मुझे/हमें स्वीकार हैं।

मैं/हम सहमति देता हूँ/देते हैं कि यदि निविदा प्रपत्रों में किसी भी समय कोई गलत प्रपत्र, त्रुटि या गलत सूचना पायी जाती है तो मेरा/हमारा अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाये एवं मेरी धरोहर राशि को जब्त कर ली जाए तथा चिकित्सालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुबन्ध की अवधि में देयकों के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि पर ब्याज सहित वसूली के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही का अधिकार होगा।

निविदादाता का
स्व प्रमाणित
फोटो

निविदादाता/निविदादाताओं के हस्ताक्षर एवं मुहर

पूरा नाम

मोबाइल नं०

फोन नं०

फैक्स नं०

धरोहर राशि का विवरण:-

फिक्स डिपोजिट रसीद सं० दिनांक

जारी करने वाले बैंक का नाम

शपथ पत्र

यह कि मैं/हम
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....फर्म का नाम
.....स्वामी/पार्टनर हूँ। मेरी फर्म का पता ..
.....
.....है।

1. मेरी/हमारी फर्म विगत 5 वर्षों में किसी शासकीय/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दंडित नहीं की गयी है एवं काली सूची में नहीं डाली गयी है।
2. मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध कोई भी वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा मा0 न्यायालय द्वारा कभी भी दंडित नहीं किया गया है।
3. मेरी/हमारी फर्म का विगत 3 वर्षों का व्यापार कर एवं आयकर जमा कर दिया गया है, तथा मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध कोई कर बकाया नहीं है।
4. मेरा/हमारा का कोई भी आपराधिक मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा मुझे/हमें मा0 न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले दंडित नहीं किया गया है।
5. मैं/हम किसी स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं है।
6. यह कि मैं/हम कालाबाजारी, माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हूँ/हैं। यदि ऐसा होना पाया जाता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त चिकित्सालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. यह कि मैं/हम सम्भावित निविदादाताओं को धमकाने, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की कार्यवाही नहीं करूँगा/करूँगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त चिकित्सालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को निविदा/अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. यह कि मैंने/हमने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया गया है। अनुबन्ध के उपरान्त दिये गये आदेशों/कार्यों का मैं/हम निष्ठापूर्वक सम्पादन करूँगा/करूँगी।
9. यह कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत अभिलेख पूर्णतया सही है तथा निविदा की सभी निर्धारित शर्तें मुझे/हमें मान्य है जिनका मेरे/हमारे द्वारा शतप्रतिशत पालन किया जायेगा। यदि प्रस्तुत अभिलेख अथवा तथ्य गलत पाया जाता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त चिकित्सालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को निविदा/अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. यह कि उपरोक्त बिन्दु सं0 1 से 9 तक समस्त कथन मेरे/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यदि इस शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरी/हमारी जमा जमानत धनराशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाये इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी, यह मैंने/हमने बिना किसी दबाव के अपने पूर्ण होशोहवास में व्यक्त किये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पद सहित मुहर

प्रपत्र संलग्नक सूची

क्र०सं०	प्रपत्र विवरण	संलग्नक
1	फिक्स डिपॉजिट रसीद संख्या दिनांक बैंक का नाम	
2	डिमॉण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम	
3	जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र के साथ जी.एस.टी. पहचान संख्या (G.S.T. Certificate with G.S.T. Identification No.)	
4	आयकर विभाग (PAN) का प्रमाण-पत्र	
5	व्यापार कर क्लीयरेंस /जमा रसीद	
6	आयकर असेसमेंट	
7	टर्नओवर प्रमाण-पत्र	
8	घोषणा पत्र प्रारूप पेज सं० 5	
9	शपथ पत्र प्रारूप पेज सं० 6	
10	निजी मुद्रण/मुद्रणालय हेतु जिला अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण	
11	निजी मुद्रण/मुद्रणालय फर्म का टर्नओवर प्रमाण पत्र	
12	श्रम आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र	
13	अनुभव प्रमाण-पत्र	
14	संलग्नक नमूना -	
15	अन्य विवरण यदि कोई हो-	

नोट:

1. निविदादाता द्वारा समस्त प्रपत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए।
2. समस्त प्रपत्रों में क्रमांक अंकित होना चाहिए।
3. समस्त प्रपत्र उपरोक्त क्रमानुसार संलग्न होना चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पद सहित मुहर

Proforma of Financial Bid

Office of the Superintendent

GANDHI MEMORIAL AND ASSOCIATED HOSPITALS,

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH, LUCKNOW-226003

Tender No **/MS/2017**

Date: / /**2017**

Tender of Printing Items

[illegible]

Signature of Tenderer

Name

Designation

Seal

Dated